

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-100
सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

नौकरी छूटने की वजह से वापस घरों को पलायन

100. श्री सु० थिरुनवुक्कासरः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को देश में कोविड-19 महामारी फैलने से असंगठित क्षेत्र में कई लाख मजदूरों के नौकरी छूटने की वजह से वापस अपने घर पलायन करने की जानकारी है जिससे गरीब मजदूर वर्ग सड़क पर आ गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने देश में उक्त प्रवृत्ति को रोकने और श्रमिक वर्ग के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस जा रहे हैं तथा इस अवधि के दौरान भारत में रोजगार की हानि भी देखी गई है। सरकार ने स्थानीय स्तरों पर रोजगार सृजित करने हेतु पहल की हैं तथा प्रवासी कामगारों की प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत एवं प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से सहायता कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था, अव-संरचना, व्यवस्था, व्यवस्थापूर्ण जनसांख्यिकी एवं मांग पर आधारित है जिससे युवाओं हेतु रोजगार सृजित हो। इसमें देश में रोजगार अवसरों के सृजन को सुकर बनाने हेतु 20 लाख करोड़ रु. का आर्थिक पैकेज शामिल है।

पीएमजीकेवाई के तहत, अनाज प्रदान करने के अतिरिक्त, लाभार्थियों के खातों में सीधे ही अनुग्रह-पूर्वक अनुदान भुगतान, कुछ प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों हेतु ईपीएफ अंशदान भी सरकार द्वारा किया गया जिससे कि उद्योग विशेषकर एमएमएसएमई क्षेत्र को सहायता मिल सके। इसके अतिरिक्त, एमजी नरेगा के तहत वेतन को 182 रु. प्रति दिन से बढ़ाकर 202 रु. किया गया है जिससे 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) के तहत भारत सरकार ने स्थानीय रोजगार अवसरों विशेषकर प्रवासी लौटने वालों को प्रदान करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसमें 50,000 करोड़ रु. के संसाधन आवृत के साथ 6 राज्यों के 116 जिले शामिल हैं जिसका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 125 दिवसों के मिशन मोड अभियान में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

सरकार ने अवसंरचना लॉजिस्टिक्स, क्षमता निर्माण, कृषि, मत्स्य एवं खादय प्रसस्करण क्षेत्रों हेतु शासन एवं प्रशासनिक सुधारों को सुदृढ करने के लिए उपायों की भी घोषणा की है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से उनका व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/-रु. तक का गारंटी मुक्त कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।
